बिहार PWD Code Vol II (Appendix IV) में वर्णित व्यवसायिक परीक्षा के आयोजन हेतु उल्लेखित नियम से मार्गदर्शन लेते हुए बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–2 अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता की द्वितीय अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा–2019 से प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा–2024 के आयोजन हेतु निम्न परीक्षा मार्गदर्शिका अपनायी जायेगी।

(1) Bihar PWD Code Vol II (Appendix IV) Part-II के नियम–1 के अनुसार सहायक अभियंताओं को अपने पद पर योगदान के वर्ष से तीन वर्षों के अन्दर व्यवसायिक परीक्षा में सफल होने की अनिवार्यता उल्लेखित है।

(2) Bihar PWD Code Vol II (Appendix IV) Part-II के नियम–4 के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा प्रत्येक वर्ष के जून एवं दिसम्बर माह में आयोजन करने का प्रावधान है।

(3) व्यवसायिक परीक्षा के आयोजन हेतु व्यवसायिक परीक्षा समिति का गठन किया जायेगा, जिसके संयोजक मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकरी होंगे।

(4) विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग की तर्ज पर द्वितीय अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा–2019 से प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा–2024 का आयोजन बिपार्ड के माध्यम से किया जायेगा।

(5) व्यवसायिक परीक्षा में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु Online Portal Bipard द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) परीक्षा की सूचना बिपार्ड द्वारा E-advertisement एवं समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से की जायेगी।

(7) बिपार्ड द्वारा समाचार पत्र एवं बिपार्ड के वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले Application for appearing in professional examination, RWD तथा अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले प्रवेश पत्र के प्रारूप का विभागीय अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यवसायिक परीक्षा में भाग लेने हेतु बिपार्ड के पोर्टल से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। प्रपत्र विभाग द्वारा अनुमोदित होगा। व्यवसायिक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी डाउनलोडेड प्रपत्र में वांछित सूचना अंकित करेंगे तथा प्रपत्र को नियंत्री पदाधिकारी से अनुशंसित कराकर बिपार्ड के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आवेदन प्रपत्र नियंत्री पदाधिकारी से अनुशंसित नहीं रहने पर उनके आवेदन को अस्वीकृत किया जायेगा एवं परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रवेश पत्र बिपार्ड के ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, रॉल नम्बर, पद, पदस्थापन का स्थल, परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा स्थल अंकित रहेगा।

(8) परीक्षा में भाग लेने वाले अभियंताओं के तकनीकी सक्षमता की जाँच PWD Code Vol II (Appendix IV) Part-II के नियम–1 की कंडिका–5 में वर्णित निम्न प्रसंग के आलोक में की जायेगी।

"The examination will be such as to test-

(a) The knowledge of an officer regarding the localities where he has been employed as to -

(i) their resources for the raw materials of engineering construction.

(ii) the processes for preparing materials for engineering constructions.

(iii) the methods and costs of engineering construction.

(iv) the dealings with contractors and management of work people.

(b) His acquaintance with the rules of the Public Works Department Code as far as they concern an Assistant Executive Engineer or Assistant Engineer and his knowledge of the accounts of a subdivision. The officer will be expected to show that he is sufficiently acquainted with those portions of the Government publications mentioned below :-

Public Works Department Code, 10th Edition, Chapters II, III and IV, Public Works Account Code, Chapters VI, VII and X; Bihar and Orissa Account Code, Chapters I, II, VIII and IX; [1](Bihar and Orissa Service Code, Chapters II, VI excepting rules 191-192, 200-206, 208-210, 213-217 and 222-224 and 239-246, Chapter VII excepting rules 304-305, 310, 312-313 and 333-334, Chapter VIII and Appendix 15.

(c) His ability to design and estimate works.

(9) व्यवसायिक परीक्षा दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण में मौखिक परीक्षा होगी।

(10) प्रथम चरण की लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र के तीन खण्ड यथा खण्ड A-50 अंक, खण्ड B-50 अंक एवं खण्ड C-50 अंक के होंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक खण्ड में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अहर्त्ता अंक प्राप्त करना होगा। लिखितं परीक्षा के खण्ड A का पाठ्यक्रम कंडिका–8(a) के अनुसार, खण्ड B का पाठ्यक्रम कंडिका–8(b) के अनुसार एवं खण्ड C का पाठ्यक्रम कंडिका–8(c) के अनुसार होगी।

(11) द्वितीय चरण की मौखिक परीक्षा 150 अंकों की होगी। मौखिक परीक्षा हेतु प्रश्न तीन खण्ड से पूछे जायेंगे यथा खण्ड A-50 अंक, खण्ड B-50 अंक एवं खण्ड C-50 अंक। मौखिक परीक्षा हेतु सफल होने के लिए प्रत्येक खण्ड में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अहर्त्ता अंक प्राप्त करना होगा। मौखिक परीक्षा के खण्ड A का पाठ्यक्रम कंडिका–8(a) के अनुसार, खण्ड B का पाठ्यक्रम कंडिका–8(b) के अनुसार एवं खण्ड C का पाठ्यक्रम कंडिका–8(c) के अनुसार होगी।

(12) ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बिपार्ड को Model Question Bank सीलबंद लिफाफे में बिपार्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा बिपार्ड द्वारा Model Question Bank से randomisation के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा।

(13) लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा हेतु Resource person ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बिपार्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) लिखित परीक्षा के उत्तर–पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु बिपार्ड को उपलब्ध कराये जाने वाले Resource person कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी रहेंगे।

(15) मौखिक परीक्षा एक त्री–सदस्यीय समिति द्वारा ली जायेगी, जिसमें विभाग के एक अधीक्षण अभियंता एवं दो कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। यह त्री–सदस्यीय समिति मौखिक परीक्षा हेतु Resource person के रूप में बिपार्ड को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16) प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही द्वितीय चरण की मौखिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।

(17) परीक्षाफल का प्रकासन बिपार्ड के वेबसाइट पर विभागीय सहमति के उपरान्त किया जायेगा। अभ्यर्थी अपना परीक्षाफल विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

(18) यह परीक्षा मार्गदर्शिका बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–2 अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता की द्वितीय अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा–2019 से प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा–2024 के आयोजन पर ही लागू होगी।

(19) आयोजित होने वाली व्यवसायिक परीक्षा के क्रम में यदि वैसे कोई मामले/विषय संज्ञान में आने एवं वर्णित बिन्दुओं में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सहमति/आदेश प्राप्त कर उसे इस मार्गदर्शिका में सम्मिलित या विलोपित किया जायेगा।

13.6.24
(मो0 अशफाक अहमद)
सहायक अभियन्ता
अग्रिम योजना प्रमंडल–1

13/06/2024
(श्री बीरेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
गुणवत्ता प्रबंधन–2

13/6/2024
(श्री मनोज कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता,
जाँच एवं गुणवत्ता अंचल
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

13/6/24
(श्री अजय कुमार)
सहायक अभियन्ता
गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग

13/06/2024
(श्रीमती अरुणा कुमारी)
कार्यपालक अभियन्ता
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

13/06/24
(श्री शशि शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता
निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना